तर प्रदेष राज्य औद्योगिक कास प्राधिकरण



यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स A-1/4ए लखनपुर कानपुर – 208024

दूरभाष : 0512-582851-53 फैक्स : 0512-2580797 वेबसाइट: <u>www.upsidc.com</u>

CIN-U26961SGC002834

संदर्भ संख्या

/सीडा/एटीपी/का0आ0

दिनांक

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की दिनांक 1.06.2020 को सम्पन्न 35वीं बोर्ड बैठक के कार्य बिन्दु संख्या—2 में प्राधिकरण की दिनांक 26.11.2019 को आहूत 34वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पर उक्त बैठक के कार्य बिन्दु संख्या—8 में पूर्व निर्णय के अनुसार यूपीसीडा में लागू उ०प्र0 औद्योगिक विकास क्षेत्र—भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 में बिना भवन अनुज्ञा पत्र के अनुमन्य एफं:ए.आर. एवं भू—आच्छादन के अन्तर्गत किये गये निर्माण हेतु शमन शुल्क की दर रू.1000/प्रति वर्गमीटर (निर्मित क्षेत्र) रोपित किये जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया गया।

यूपीसीडा संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों में भवन अनुज्ञा पत्र के बिना अनुमन्य एफ.ए.आर. एवं भू—आच्छादन के अन्तर्गत किये गये निर्माण हेतु शमन शुल्क की दर को समस्त भू—उपयोगों के भूखण्डों पर एक समान रू.1000/प्रति वर्गमीटर (निर्मित क्षेत्र) के स्थान पर रू.100/प्रति वर्गमीटर (निर्मित क्षेत्र) निर्धारित किये जाने का निर्णय उद्योग की स्थापना में सुगमता के दृष्टिगत लिया गया है। तदानुसार पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश सं० 1359/सीडा/एटीपी/का०आ० दिनांक 28.01.2020 में वर्णित शमन शुल्क की दर रू.1000/प्रति वर्गमीटर (निर्मित क्षेत्र) को संशोधित कर रू.100/प्रति वर्गमीटर (निर्मित क्षेत्र) निर्धारित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संदर्भ संख्या 157 /यथोक्त।

(अनिल गर्ग) मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिनांक 30,6,2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, मुख्याल्य, कानपुर।
- २. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, मुख्यालय, कानपुर। फ्रेन्से रेज्यार
- 3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०......।
- 4. वरिष्ठ प्रबन्धक(सिविल), उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०.....।
- 5. प्रभारी (कम्प्यूटर), उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि वे सूचनायें वेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 6. श्री अनुराग अवस्थी, सलाहकार, ई० एण्ड वाई०।
- 7. सहायक प्रवन्धक(वा० / नि०) / समस्त मानचित्रक, एटीपी अनुभाग, मुख्यालय।

81. 1 C. groß

(अनिल्ल गर्ग) रू । । । । मुख्य कार्यपालक अधिकारी